पुलिस ने अवैध सिगरेट बेचने वाले रिटेलर्स पर की कानूनी कार्रवाई

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली पुलिस ने अवैध एवं तस्करी कर लाए हुए सिगरेट की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली पुलिसने कटवरिया सराय मार्केट में छापा मारा और अवैध सिगरेट उत्पाद रखने एवं बेचने वालेरिटलर्स पर कार्रवाई की।

छापे के दौरान पुलिस टीम ने कई रिटेल आउटलेट की जांच की और नियमों का उल्लंघनकरने वालों के खिलाफ सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट (सीओटीपीए) के तहत चालान बनाया। अवैध एवं जाली सिगरेट के स्टॉक्स को जब्त भी किया गया। यह कार्रवाई ऐसे में समय में की गई है, जबकि तस्करी के जरिये भारत में विदेशी सिगरेट ब्रांड कीउपलब्धता तेजी से बढ़ने की खबरें आ रही हैं। अवैध रास्तों से तस्करी कर लाए गए इनसिगरेट को आसपास के रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाता है। एस, मोंड, मोर एंड ब्लैक समेत कई ब्रांड अवैध तरीके से बाजार मेंउपलब्ध हैं। इस तरह के बहुत से सिगरेट पैक पर भारतीय कानून के तहत जरूरी वैधानिकचेतावनी एवं तस्वीर के जरिये दी जाने वाली स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी नहीं होती है। स्वास्थ्य से संबंधित चेतावनी नहीं होने के कारण उपभोकताओं को लगता है कि येसिगरेट उत्पाद अन्य की तुलना में सुरक्षित हैं या कम खतरनाक हैं। अवैध रास्तों सेभारत में आने वाली सिगरेट के मामले में नियामकीय शर्तें पूरी नहीं होती हैं और इन्हें गुणवत्ता के उन मानकों का सामना भी नहीं करना पड़ता, जिनसे वैध तरीके से बनने और बेचे वाले वाले उत्पादों कोगुजरना होता है।

दुबई एयरपोर्ट के पुराने जलभराव का वीडियो दिल्ली का बताकर किया था साझा